



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235698
CG-DL-E-11052022-235698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2060]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2022/वैशाख 20, 1944

No. 2060]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2022/VAISAKHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2022

का.आ. 2167(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के कारबी आंगलोंग जिले में NH29 के कि.मी. 65+923 से कि.मी. 80+930(कारबी आंगलोंग ऑटोनोमस कौंसिल डिपार्टमेंट ऑफ़ राजस्व, दिफू) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 29 मार्च, 2022 को " द हिल्स टाइम्स " और " थेकर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

असम राज्य के कारबी आंगलोंग जिले में NH29 के कि.मी. 65+923 से कि.मी. 80+930 (कारबी आंगलोंग ऑटोनोमस कौंसिल डिपार्टमेंट ऑफ़ राजस्व, दिफू) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: कारबी आंगलोंग			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: फुलोनी				
	गांव का नाम: १ नो बोरपुखूरी				
1	276-PP-169	निजी	कमर्शियल	0.0429	बोर्सिंग तेरोन पुत्र हेमारी तेरोन ()
	गांव का नाम: २ नो तरबासा				
2	369-PP-131	निजी	एग्रिकल्चर	0.0119	साधिन किलिंग पुत्र स्वर्गीय धोसिंग किलिंग ()
3	631-PP-143	निजी	रेजिडेंशियल	0.0599	बिद्यासिंग किलिंग पुत्र स्वर्गीय डॉक किलिंग ()
4	660-PP-57	निजी	रेजिडेंशियल	0.0384	सरसिंग बे पुत्र स्वर्गीय बोरसिंग बे ()
	गांव का नाम: लैंगहिन टाउन 2				
5	485-PP-105	निजी	कमर्शियल	0.0028	दिनोराम बासुमतारी पुत्र स्वर्गीय मोलोई बासुमतारी ()
	गांव का नाम: फुलोनी गांव (स)				
6	776-PP-110	निजी	एग्रिकल्चर	0.0174	बाबुल चंद्र स्वर्गीय अरी पुत्र मोंगल स्वर्गीय अरी ()
7	780-PP-92	निजी	कमर्शियल	0.0674	मोंटू रोंगपी पुत्र स्वर्गीय बिजय रोंगपी ()
8	890-PP-194	निजी	एग्रिकल्चर	0.0669	अर्चना बोराह बसुमतारी पत्नी दिनोराम बसुमतारी ()

	गांव का नाम: उप्पेर तरबासा				
9	519-PP-82	निजी	रेजिडेंशियल	0.0931	बालिसन रोंगपी पुत्र परी रोंगपी ()
			कुल	0.4007	

[फा. सं. JRT/NHIDCL/GM/LA/PKG-II/01/2020/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th May, 2022

S.O. 2167(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH29 on the stretch of land from Km 65+923 to Km 80+930 (Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue, Diphu) in the district of KARBI ANGLONG in the state of ASSAM

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hills Times” and “The Thekar” both dated 29.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH29 in the stretch of land from km 65+923 to 80+930 of NH29 (Karbi Anglong Autonomous Council Department of Revenue, Diphu) in the district of KARBI ANGLONG in the state of ASSAM

State: ASSAM			District: KARBI ANGLONG		
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Phuloni				
	Village: 1 No Borpukhuri				
1	276-PP-169	Private	Commercial	0.0429	Borsing Teron S/o Hemari Teron

	Village: 2 No Tarabasa				
2	369-PP-131	Private	Agriculture	0.0119	Sadhin Killing S/o. Lt. Dhonsing Killing
3	631-PP-143	Private	Residential	0.0599	Bidyasing Killing S/o. Lt. Dok Killing
4	660-PP-57	Private	Residential	0.0384	Sarsing Bey S/o. Lt. Borsing Bey
	Village: Langhin Town 2				
5	485-PP-105	Private	Commercial	0.0028	Dinoram Basumatary S/o. Lt. Moloi Basumatary
	Village: Phuloni Gaon (C)				
6	776-PP-110	Private	Agriculture	0.0174	Babul Ch. Swargiary S/o. Mongal Swargiary
7	780-PP-92	Private	Commercial	0.0674	Montu Rongpi S/o. Lt. Bijoy Rongpi
8	890-PP-194	Private	Agriculture	0.0669	Archana Borah Basumatary W/o. Dinoram Basumatary
	Village: Upper Tarabasa				
9	519-PP-82	Private	Residential	0.0931	Balison Rongpi S/o. Pari Rongpi
			TOTAL	0.4007	

[F. No. JRT/NHIDCL/GM/LA/PKG-II/01/2020/3D]

RAJESH GUPTA, Director